

आदेश

पुलिस हस्तक नियम-778(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवा निवृत्ति निकटता के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-15.02.2021 को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण नीचे उनके नाम के सामने कड़िका-8 में अंकित जिला बल/इकाई में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	याचित स्थान	स्थानान्तरित जिला / इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
पुलिस अवर निरीक्षक							
1	पु0अ0नि0	पवन कुमार	मुंगेर	02-12-1961	गोपालगंज	मुंगेर	मुंगेर
2	पु0अ0नि0	प्रमोद कुमार	पटना	09-01-1963	बगहा	पटना/ मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग	पटना
3	पु0अ0नि0	राजदेव यादव	गया	11-07-1962	भागलपुर	गया	गया
4	पु0अ0नि0	ललन राम	सारण	01-07-1962	गया	छपरा (सारण)	सारण
5	पु0अ0नि0	लखन ओझा	भोजपुर	05-05-1962	गया	भोजपुर	भोजपुर
6	पु0अ0नि0	रामप्रवेश कुमार	बेगूसराय	15-02-1963	वैशाली	बेगूसराय	बेगूसराय
7	पु0अ0नि0	शंकर पोद्दार	खगड़िया	01-01-1963	अररिया	खगड़िया	खगड़िया
8	पु0अ0नि0	शिव नारायण यादव	सहरसा	08-10-1962	अररिया	सुपौल	सुपौल
9	पु0अ0नि0	शिव शंकर मांझी	पलामु (झारखंड)	26-03-1962	विशेष शाखा	औरंगाबाद	औरंगाबाद
10	पु0अ0नि0	विजय कुमार	नालन्दा	19-10-1962	बक्सर	नालन्दा	नालन्दा
11	पु0अ0नि0	सकलदेव सिंह	सारण (छपरा)	25-01-1963	बक्सर	सारण (छपरा)	सारण
12	पु0अ0नि0	सर्वजीत राम	गाजीपुर, यू0पी0	01-09-1962	रेल मुजफ्फरपुर	बक्सर/ आर्थिक अपराध इकाई	बक्सर
13	पु0अ0नि0	जितेन्द्र कुमार	जहानाबाद	05-03-1962	गया	जहानाबाद	जहानाबाद
14	पु0अ0नि0	विलाश पासवान	भागलपुर	05-04-1962	औरंगाबाद	भागलपुर	भागलपुर
15	पु0अ0नि0	जवाहर राय	सारण	03-01-1962	गोपालगंज	सारण (छपरा)	सारण
16	पु0अ0नि0	सत्येन्द्र नारायण सिंह-3	बक्सर	13-10-1962	गया	बक्सर	बक्सर

M. S. Singh

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	याचित स्थान	स्थानान्तरित जिला / इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रा०पु०नि० (प्रशि०) / प्रा०अ०नि०(प्रशि०)							
1	प्रा०पु०नि० (प्रशि०)	गोपाल प्रसाद दूबे	वैशाली	01-09-1962	शिवहर	वैशाली	वैशाली
2	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	मो० मोइनुद्दीन	गाजीपुर (उ०प्र०)	01-12-1961	रेल जमालपुर	बक्सर	मुख्यालय के ज्ञापांक-109/प 10-2, दिनांक-12.02.21 द्वारा किये गये अस्वीकृत को संशोधित करते हुये बक्सर
स०अ०नि०							
1	स०अ०नि०	जयकृष्ण यादव	मधेपुरा	02-01-62	नालन्दा	मधेपुरा	मधेपुरा
2	स०अ०नि०	प्रेम नारायण पासवान	भागलपुर	03-01-63	गया	भागलपुर	भागलपुर
3	स०अ०नि०	कृष्णा प्रसाद	मोतिहारी	15-12-62	गया	मोतिहारी	मोतिहारी
4	स०अ०नि०	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	मुजफ्फरपुर	10-01-63	पटना	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
हवलदार							
1	हव०	हीरालाल राम	सारण	25.11.1962	रोहतास	सारण	सारण
2	हव०	श्लोक प्रसाद	पटना	28.04.1962	बगहा	पटना	पटना
3	हव०	बली सिंह	पलामू	17.02.1963	बक्सर	रोहतास	रोहतास
4	म० हव०	कान्ति देवी	पटना	23.02.1963	बेतिया	पटना	पटना
5	हव०	मो० निसार अहमद	मुंगेर	24.02.1962	बेगूसराय	मुंगेर	मुंगेर
सिपाही							
1	सि०-654	सूर्यनाथ सिंह	भोजपुर	07.01.62	रेल पटना	भोजपुर	भोजपुर
2	सि०-742	चमरू माँझी	बाँका	03.01.63	गया	बाँका	बाँका
3	सि०-612	नरेन्द्र यादव	राज्य के बाहर	25.01.63	औरंगाबाद	बाँका	बाँका

15/12/21

2. निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर स्थानान्तरण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा गृह जिला का विकल्प अपेक्षित रहने/विचारण की परिधि से बाहर रहने के कारण अस्वीकृत रखने का निर्णय लिया गया है:-


क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	याचित स्थान	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8
पुलिस अवर निरीक्षक							
1	पु०अ०नि०	नकुल कुमार सिंह	मुंगेर	25-10-1962	गया	बांका	अस्वीकृत/ गृह जिला का विकल्प अपेक्षित
2	पु०अ०नि०	बद्रीनारायण सिंह यादव	कैमुर	02-10-1962	वैशाली	पटना	अस्वीकृत/ गृह जिला का विकल्प अपेक्षित
3	पु०अ०नि०	बबन प्रसाद चौधरी	भोजपुर	05-03-1963	अररिया	बक्सर	विचारण की परिधि से बाहर/ अस्वीकृत

3. स्थानान्तरण संबंधित कर्मियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे। सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को अविलम्ब विरमित कराना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

4. उपरोक्त स्थानान्तरित पदाधिकारियों का यदि पूर्व में अन्यत्र स्थानान्तरण हुआ हो, तो उन्हें उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल से स्थानान्तरित जिला/इकाई हेतु विरमित किया जायेगा।

5. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,



पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

ज्ञापांक- / पी०-२ / ०७-०६-०५-२०२१ / 114

पटना, दिनांक 15.02.2021.

प्रतिलिपि :-

1. सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा/सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।


पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना